

कायलिय निदेशक सैकडरो शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़
आदेश क्रमांक 23/127-2002 बि 1141 दिनांक चण्डीगढ़ 5-2-2003

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र

माडन विद्या निकेतन अरावली हिल्स बड्डाल मूरज कूड रोड फरीदाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2002-03 के लिए 10+2 स्तर तक की सम्बद्धता लेने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

- 1 इस विद्यालय को स्यूमि/प्रबन्धांक कमेटी के विरुद्ध कोर्ट केस/शिकायत लम्बित न हो।
- 2 हरियाणा एजेन्डान एक्ट 1995 तथा इसके तहत बनाए गए रहे नियमों के अनुसार हरियाणा एजेन्डान माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- 3 हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।
- 4 हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देश/हिदायतों को पालना करनी होगी।

यदि शर्तों की अवेहलना बाई गई तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना नोटिस दिए रद्द कर दिया जायेगा।

सुरीना राजन
निदेशक सैकडरो शिक्षा हरियाणा
पृष्ठांक क्रमांक तम दिनांक 5-2-2003

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक के.ए./2002/2074 दिनांक 19-6-2002 के संदर्भ में।
- 2 प्राचार्य माडन विद्या निकेतन अरावली बड्डाल मूरज कूड रोड फरीदाबाद।
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर श्रीम बिहार नई दिल्ली।

meb
Principal
Modern Vidya Niketan
Aravali Hills, Faridabad

Prerna Singh
उप अधीक्षक विद्यालय-1
लूे निदेशक सैकडरो शिक्षा हरियाणा